रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72

REGD. NO. D. (D.L.)-72

15.6.87

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1987/चैत्र 9, 1909
NO. 156] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30 1987 CHAITRA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1987

अधिसूचना

स. 150/87-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 341(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 234/86-सीमाशुल्क, तारीख 3 अप्रैल, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "31 मार्च, 1987" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 1988" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 346/17/87- टी. आर. यू.]
टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th March, 1987

NOTIFICATION

NO. 150|87-CUSTOMS

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 234|86-Customs, dated the 3rd April, 1986, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words "31st March, 1987", the figures, letters and words "31st day of March, 1988" shall be substituted.

[F. No. 346|7|87-TRU]
T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987